संख्या-23/2021/601 /30-3-2021

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 05 मार्च, 2021

विषय- सम्भागीय परिवहन कार्यालय-अयोध्या के कार्यालय भवन की मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-327ए/2021-43ए/2020, दिनांक 16-02-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्भागीय परिवहन कार्यालय-अयोध्या के कार्यालय भवन की मरम्मत, रंगाई-पुताई, खिड़की व दरवाजों की मरम्मत तथा जी0आई पाइप की फिटिंग के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में राजस्व पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण में प्रावधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से रू0 36.90 लाख (रू0 छत्तीस लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
(2) निर्माण कार्य की विशिष्टयां मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व आपका होगा।
(3) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इसका पूर्ण ध्यान रखा जाय।
(4) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
(5) उक्त कार्यों के सम्बन्ध में समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-23/2021/601(1)/30-3-2021, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
9- संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, अयोध्या।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।